न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः–158/2023

प्रार्थीः–

सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिलोर तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. हरीसिंह पुत्र गेनाराम जाति पुरोहित निवासी सिलोर तहसील समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री लादाराम परमार अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–28.10.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा संख्या 669/400 रकबा 1.3274 हैक्टेयर ग्राम सिलोर तहसील समदडी में आई हुई है। विवादित भूमि के उत्तर की ओर विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 399 रकबा 0.0243 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी अपने खरीदसुदा भूमि पर माफिक परिशिष्ट अ अनुसार काबिज काश्त है। तहसील समदडी के नक्शे का डिजिटलाईजेशन करते समय राजस्व कार्मिको द्वारा सहवन से प्रार्थी की खातेदारी भूमि को विप्रार्थी संख्या 2 से बदल दिया जबकि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि का रकबा बडा है तथा विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी का रकबा छोटा है। प्रार्थी के मौके व नक्शा ट्रेस में विभिन्नता होने के कारण प्रार्थी ने वास्तविक कब्जानुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलबी की। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र कमांक-भू.अ./2024/958 दिनांक 09.07.2024 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी [illegible] एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा स्थिति में भिन्नता है। DIRLMP योजना के तहत समदडी तहसील को ऑनलाईन करते समय खसरा संख्या 669/400 के स्थान पर खसरा संख्या 399 व खसरा संख्या 399 के स्थान पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

खसरा संख्या 699/400 दर्ज हो गया जो कि लट्ठा ट्रेस में दर्ज तरमीम से भिन्न है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'डी' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने से धारित कुल रकबे में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं हो रही है। तहसीलदार समदडी द्वारा उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिलोर तहसील समदडी की खसरा संख्या 669/400 रकबा 1.3274 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार समदडी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'डी' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2024/958 दिनांक 09.07.2024 तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'डी' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा ट्रेसशुदा

मौजा - सिलोर

तहसील - समदड़ी

पैमाना - १ इंच = ८० गट्ठा

परिशिष्ट "D"

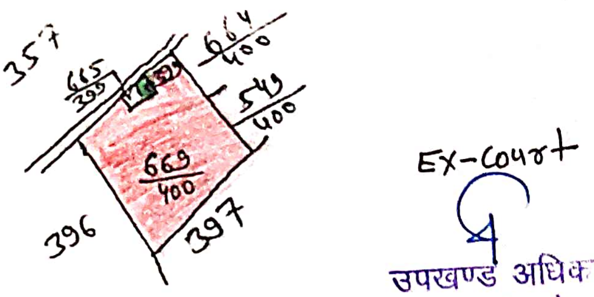

EX-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संकेत

(1) इन्डस्ट्रीज ▭ ख० 669/400

(2) हार्टिकल्चर ▭ ख० 399

सत्य प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 214 / 27.06.2024
पर दर्ज कर जारी की गई

Shekhawat
पटवारी (भू.अ.)
सिलोर

28.6.2024

Shekhawat
प. सिलोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested